

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
भोले शंकर कुमार
बनाम
बिहार राज्य एवं अन्य
2015 की दीवानी रिट याचिका संख्या- 17244
02 अगस्त 2024
(माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या याचिकाकर्ता की पंचायती शिक्षक के रूप में नियुक्ति, जो 2006 नियमों के तहत पंचायत शिक्षा मित्र से रूपांतरित की गई थी, में हस्तक्षेप किया जा सकता था?

हेडनोट्स

पंचायत सचिव एवं रोजगार इकाई द्वारा इस न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 22411/2011 में पारित आदेश की गलत व्याख्या कर याचिकाकर्ता को हटाया जाना विधिसंगत नहीं है और निरस्त किए जाने योग्य है। पंचायत सचिव द्वारा न्यायाधिकरण के आदेश के संचालन पर रोक लगाए जाने की तथ्यात्मक स्थिति को तोड़-मरोड़कर और छिपाकर, उक्त आदेश को लागू किया गया और उत्तरदाता संख्या 10 को लाभ पहुंचाने हेतु नियुक्त कर दिया गया। (कंडिका 27) उत्तरदाता संख्या 10 की नियुक्ति 01.07.2006 से पूर्व पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में नहीं हुई थी। अतः उसे पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्ति या मानी गई नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है, न ही उसे 2006 के नियमावली की नियम 20 (iii) के तहत पंचायत शिक्षक के रूप में समायोजन का कोई अधिकार प्राप्त है। न्यायाधिकरण के आदेश के कार्यान्वयन के बहाने याचिकाकर्ता को पंचायत शिक्षक के पद से हटाया जाना एवं उत्तरदाता संख्या 10 की नियुक्ति पूर्णतः अवैध, मनमानी, दुर्भावनापूर्ण तथा विधि की दृष्टि से असंवहनीय है। (कंडिका 28, 29)

न्याय दृष्टान्त

रेणु कुमारी पांडेय बनाम बिहार राज्य, 2011 (4) पी.एल.जे.आर. 297 (खंडपीठ); कल्पना रानी बनाम बिहार राज्य, 2014 (2) पी.एल.जे.आर. 665

अधिनियमों की सूची

बिहार पंचायती शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2006

मुख्य शब्दों की सूची

पंचायत शिक्षा मित्र; पंचायती शिक्षक; पिछला प्रभाव निषेध; न्यायिक स्थगन; अदालती भ्रामक प्रस्तुति; रोस्टर उल्लंघन; नियोजन इकाई; पिछड़ा वर्ग कोटा; न्यायाधिकरण निरस्त; बिना वेतन पुनः नियुक्ति

प्रकरण से उत्पन्न

जिला अपीलीय प्राधिकारी के आदेश संख्या 149/2010 एवं पंचायत सचिव का पत्रांक 210 दिनांक 30.11.2013 से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री कृष्ण कांत सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता की ओर से: श्री अब्बास हैदर, स्थायी अधिवक्ता 6, श्री रंजय कुमार सिंह, श्री नित्यानंद मिश्रा, श्री आलोक अभिनव, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया:

अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2015 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 17244

=====

श्री भोले शंकर कुमार, पिता- श्री युगल दास, निवासी- पखनहा जीतवार, थाना- मीनापुर,
जिला- मुजफ्फरपुर।

..... याचिकाकर्ता/ओ

बनाम

1. बिहार राज्य
2. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. जिला दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरपुर।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, स्थापना मुजफ्फरपुर।
6. प्रखंड विकास अधिकारी, प्रखंड- मीनापुर, जिला-मुजफ्फरपुर।
7. प्रखंड शिक्षा अधिकारी, प्रखंड- मीनापुर, मुजफ्फरपुर।
8. मुखिया, पंचायत राजवाड़ा भारती, प्रखंड- मीनापुर, जिला-मुजफ्फरपुर।
9. पंचायत सचिव, पंचायत राजवाड़ा भारती, प्रखंड- मीनापुर, जिला-मुजफ्फरपुर।
10. श्री राम दिनेश साहनी, पिता- श्री देव लाल साहनी, निवासी: गाँव- मधुवन कांति,
डाकघर- जमीन मटिया, थाना- मीनापुर, जिला-मुजफ्फरपुर।

..... उत्तरदाता/ओ

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री कृष्णा कांत सिंह
उत्तरदाता/ओ के लिए	:	श्री अब्बास हैदर, एस.सी. 6
		श्री रंजय कुमार सिंह
उत्तरदाता सं. 9	:	श्री नित्यानंद मिश्रा
उत्तरदाता सं. 10	:	श्री आलोक अभिनव

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा

निर्णय और आदेश

सी.ए.वी

दिनांक : 02-08-2024

याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता प्राधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वे याचिकाकर्ता को पंचायत शिक्षक के पद पर बने रहने की अनुमति दें जिस पर वह कार्यरत था और यह भी कि पंचायत शिक्षा मित्र से पंचायत शिक्षक के रूप में परिवर्तित याचिकाकर्ता की नियुक्ति में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय कल्पना रानी बनाम बिहार राज्य, 2014 (2) पी.एल.जे.आर. 665 में प्रतिवेदित, के मद्देनजर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने बिहार पंचायत शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2006 (जिसे आगे '2006 नियमावली' कहा जाएगा) के लागू होने के बाद प्रतिवादी संख्या 10 की पंचायत शिक्षक के पद पर नियुक्ति को अवैध और प्रारंभ से ही शून्य घोषित करने का अनुरोध किया है। आगे, याचिकाकर्ता ने चयन समिति के दिनांक 25.11.2013 के निर्णय को निरस्त करने के लिए और पंचायत सचिव द्वारा जारी आदेश पत्र संख्या 210, दिनांक 30.11.2013 को निरस्त करने के लिए प्रार्थना की है जिसके तहत याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि चयन समिति ने निर्णय लिया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्ष 2004-05 में, मुजफ्फरपुर जिले में मीनापुर प्रखंड के तहत पंचायत राज राजवाड़ा भारती में पंचायत शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिया गया था और उसके अनुसार, याचिकाकर्ता ने पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता को वर्ष 2005 में दिनांक 27.05.2005 के पत्र के माध्यम से पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में सात अन्य उम्मीदवारों के साथ चुना गया था। याचिकाकर्ता पंचायत शिक्षा मित्र के पद पर शामिल हुए और 11 महीने पूरे होने के बाद, पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में उनकी सेवाओं का नवीनीकरण 01.06.2006 से 30.05.2007 तक कर दिया गया।

3. इस बीच, 2006 के नियम 01.07.2006 से अस्तित्व में आए और 2006

के नियमों के आधार पर, पंचायत शिक्षा मित्र को पंचायत शिक्षक में परिवर्तित कर दिया गया और तदनुसार याचिकाकर्ता 01.07.2006 के बाद पंचायत शिक्षक बन गया।

4. जब याचिकाकर्ता पंचायत शिक्षक के रूप में काम कर रहा था और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था, उत्तरदाता सं.10 ने जिला दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर के समक्ष एक शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्हें पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में चुना गया था, लेकिन उत्तरदाता अधिकारियों ने उन्हें उक्त पद पर नियुक्त नहीं किया। मुजफ्फरपुर के जिला दंडाधिकारी ने अपने आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को सुने बिना पूरे चयन को निरस्त कर दिया, हालाँकि 2006 के नियमों के लागू होने के बाद जिला दंडाधिकारी के पास इस तरह के आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

5. उत्तरदाता सं.10 द्वारा दायर शिकायत सीधे याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं था क्योंकि उन्हें याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी और उत्तरदाता सं.10 ने केवल यह कहा था कि यद्यपि उनका चयन वर्ष 2005 में पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में हुआ था, लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। आगे, वर्ष 2005-06 की शुरुआत में शिकायत दर्ज नहीं की गई थी और वर्ष 2007 में पंचायत शिक्षा मित्र के पद को पंचायत शिक्षक में परिवर्तित करने के बाद पहली बार यह शिकायत दर्ज की गई है।

6. उत्तरदाता सं.10 ने जिला अपीलीय प्राधिकरण, मुजफ्फरपुर के समक्ष 2010 का मामला सं. 149 के साथ एक मामला दायर किया और न्यायाधिकरण ने, दिनांक 15.07.2011 के आदेश के अनुसार, यांत्रिक तरीके से अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता को उत्तरदाता सं.10 के स्थान पर गलत तरीके से नियुक्त किया गया था।

7. याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष 2011 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 22411 में न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 15.07.2011 के आदेश को चुनौती दी, जिसमें निजी उत्तरदाता को नोटिस जारी करते हुए, इस न्यायालय ने दिनांक 16.12.2011 के अपने

आदेश के तहत न्यायाधिकरण के आदेश के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।

8. उपरोक्त रिट आवेदन में इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस उत्तरदाता सं.10 को 20.01.2012 को प्राप्त हुआ और यह पता चलने पर कि इस न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई है, उत्तरदाता सं.10 ने उक्त आदेश को छिपाते हुए, न्यायाधिकरण द्वारा 2010 के मामला सं. 149 में पारित दिनांक 15.07.2011 के आदेश के क्रियान्वयन हेतु 25.06.2012 को सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 10787/2012 के तहत एक रिट आवेदन दायर किया। इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने दिनांक 27.06.2012 के अपने आदेश के अनुसार उत्तरदाताओं को जवाबी हलफनामा दायर करने और यह भी बताने का निर्देश दिया कि न्यायाधिकरण के आदेश को लागू क्यों नहीं किया गया है।

9. इस न्यायालय को यह सूचित करने के बजाय कि इस न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी गई है, जिसके कारण न्यायाधिकरण के आदेश का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, पंचायत सचिव ने उत्तरदाता सं.10 के साथ मिलीभगत करके इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम रोक आदेश का उल्लंघन करते हुए न्यायाधिकरण के आदेश को लागू किया और दिनांक 30.06.2012 के आदेश के तहत उत्तरदाता सं.10 को नियुक्त किया। पंचायत सचिव ने उत्तरदाता सं.10 को 30.06.2012 को नियुक्ति पत्र जारी किया, जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों और **रेणु कुमारी पांडे बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2011 (4) पी.एल.जे.आर. 297 (ख.पी.)** में प्रतिवेदित खंडपीठ के निर्णय और **कल्पना रानी** (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय का पूर्ण उल्लंघन है।

10. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि जब याचिकाकर्ता को अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं दी गई, तो उन्होंने 2013 की एम.जे.सी सं. 5103 के साथ एक अवमानना याचिका दायर की। रिट आवेदन की सुनवाई की गई और इस

न्यायालय ने दिनांक 04.09.2013 के आदेश के माध्यम से, वर्तमान आदेश के आलोक में उचित आदेश पारित करने के लिए रोजगार इकाई को स्वतंत्रता के साथ न्यायाधिकरण के दिनांक 15.07.2011 के आदेश को निरस्त कर दिया। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता के संबंध में न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार पारित बाद के आदेश को भी निरस्त किया जाता है।

11. पंचायत सचिव ने याचिकाकर्ता को पंचायत शिक्षक के पद पर बनाए रखने और उत्तरदाता सं.10 को हटाने का आदेश पारित करने के बजाय, पूरे तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया और उत्तरदाता सं.10 के साथ मिलीभगत करके, रोजगार इकाई से दिनांक 25.11.2013 को यह निर्णय प्राप्त कर लिया कि याचिकाकर्ता का चयन नहीं किया जा सकता और उत्तरदाता सं.10 को बनाए रखने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरदाता सं.10 और याचिकाकर्ता दोनों एक ही श्रेणी, अर्थात् पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित हैं। चयन समिति के निर्णय की सूचना पंचायत सचिव द्वारा दिनांक 30.11.2013 को पत्र संख्या 210 के माध्यम से याचिकाकर्ता को दी गई, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता को रोजगार जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

12. याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता सं.10 द्वारा दायर 2012 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 10787 में हस्तक्षेप किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और इस न्यायालय ने दिनांक 14.08.2014 के आदेश के तहत यह माना कि सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 22411/2011 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर, न्यायाधिकरण के आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में आवेदन जहाँ तक यह याचिकाकर्ता से संबंधित है, निष्फल हो गया है।

13. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि पंचायत सचिव ने उत्तरदाता सं.10 के साथ मिलकर पूरे तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया और उत्तरदाता सं.10 को पंचायत शिक्षक के पद पर बने रहने की अनुमति दी जा रही है, जो इस न्यायालय द्वारा रेणु

कुमारी पांडे (उपरोक्त) और कल्पना रानी (उपरोक्त) में पारित आदेशों का पूर्णतः उल्लंघन है। नियोजन इकाई यह मानने में सक्षम नहीं थी कि याचिकाकर्ता पंचायत शिक्षक के पद पर बने रहने का हकदार नहीं है क्योंकि रोजगार इकाई के पास ऐसी कोई शक्ति निहित नहीं थी। पंचायत सचिव ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 22411/2011 में पारित इस न्यायालय के आदेशों की गलत व्याख्या की और याचिकाकर्ता के दावे को अवैध तरीके से खारिज कर दिया। उत्तरदाता सं.10 को सेवा में बनाए रखना और याचिकाकर्ता को सेवा से बाहर रखना पूरी तरह से अवैध है और इस न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है।

14. दूसरी ओर, उत्तरदाता सं.10 के विद्वान अधिवक्ताने प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता सं.10 ने 06.05.2005 और 07.06.2005 को संबंधित अधिकारियों के समक्ष आवेदन दायर किए थे कि पंचायत शिक्षा मित्रों के चयन के दौरान नियोजन इकाई द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता की नियुक्ति पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवार के विरुद्ध की गई थी। हालांकि याचिकाकर्ता पिछड़ा वर्ग श्रेणी में नहीं आता है और वह अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आता है, उसकी जाति 'तत्वा' है और रोस्टर के अनुसार, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी का कोई रिक्त पद नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तरदाता सं.10 ने प्राथमिक शिक्षक मूल्यांकन परीक्षा, 2016, एफ.एल.एन. और आई.सी.टी. प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

15. राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ताप्रस्तुत करते हैं कि चयन समिति ने इस न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में याचिकाकर्ता को पंचायत शिक्षक के रूप में जारी रखने की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया और उत्तरदाता सं.10 को 2010 का मामला सं. 149, दिनांक 15.07.2011 में न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुसार नियुक्त किया गया था।

16. मैंने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ताको सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

17. याचिकाकर्ता को 2006 के नियमों के लागू होने से पहले पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त किया गया था। 01.07.2006 से प्रभावी 2006 के नियमों के लागू होने के बाद, याचिकाकर्ता को पंचायत शिक्षक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। उत्तरदाता सं.10 ने न्यायाधिकरण के समक्ष 2010 का मामला सं. 149 दायर किया, जिसने अपने आदेश, दिनांक 15.07.2011 द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि उत्तरदाता सं.10 के जगह पर याचिकाकर्ता को गलत तरीके से नियुक्त किया गया है। याचिकाकर्ता ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 22411/2011 में इस न्यायालय के समक्ष न्यायाधिकरण के उक्त आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उत्तरदाता सं.10 को नोटिस जारी करते समय, न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 15.07.2011 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई थी। इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस उत्तरदाता सं.10 को 20.01.2012 को प्राप्त हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण के स्थगन आदेश की सूचना और जानकारी प्राप्त होने के बावजूद, उत्तरदाता सं.10 ने इस न्यायालय के समक्ष 2012 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 10787 के साथ एक रिट आवेदन दायर किया जिसमें उपरोक्त तथ्यों को छिपाते हुए, न्यायाधिकरण द्वारा 2010 के मामला सं. 149, दिनांक 15.07.2011 को पारित आदेश के कार्यान्वयन के लिए आवेदन किया गया है।

18. इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने 2012 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 10787, दिनांक 27.06.2012 के पारित आदेश के तहत उत्तरदाताओं को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि न्यायाधिकरण के आदेश का क्रियान्वयन क्यों नहीं किया गया। इस स्तर पर, पंचायत सचिव ने न्यायालय को यह सूचित करने के बजाय कि 2011 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 22411 में इस न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी है, दिनांक 15.07.2011 के आदेश को लागू करते हुए उत्तरदाता सं.10 को दिनांक 30.06.2012 के आदेश के तहत नियुक्त किया। 30.06.2012 को, न्यायाधिकरण का आदेश, इस न्यायालय द्वारा 2011 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 22411 में पारित दिनांक 16.12.2011 के

स्थगन आदेश के मद्देनजर, लागू नहीं था। पंचायत सचिव ने जानबूझकर उत्तरदाता सं.10 का पक्ष लेने के लिए इस न्यायालय को याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट आवेदन में न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश पर रोक के बारे में सूचित नहीं किया और उत्तरदाता सं.10 को नियुक्त करके न्यायाधिकरण के आदेश को लागू कर दिया।

19. यह स्पष्ट होता है कि अंततः इस न्यायालय ने 2011 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 22411 में, दिनांक 04.09.2013 को अंतिम आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति को निरस्त करने का निर्देश देने वाले न्यायाधिकरण के आदेश को कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार वर्तमान आदेश के आलोक में उचित आदेश पारित करने की स्वतंत्रता के साथ न्यायाधिकरण के आदेश को निरस्त कर दिया।

20. एक बार जब याचिकाकर्ता की नियुक्ति को निरस्त करने की घोषणा करने वाले न्यायाधिकरण के आदेश को इस न्यायालय द्वारा अवैध और असतत ठहराया गया है, तो नियोजन इकाई या पंचायत सचिव के पास याचिकाकर्ता को पंचायत शिक्षक के रूप में बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो पद वह न्यायाधिकरण के आदेश के पारित करने के समय धारण कर रहे थे और दिनांक 16.12.2011 को 2011 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 22411 में पारित अंतरिम आदेश के आधार पर उसी पद पर बने हुए हैं। पंचायत सचिव ने याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित इस न्यायालय के दिनांक 04.09.2013 के अंतिम आदेश की गलत व्याख्या की और याचिकाकर्ता को बहाल करने के बजाय, चयन समिति के दिनांक 25.11.2013 के प्रस्ताव के माध्यम से यह माना कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति में रोस्टर बिंदु का पालन नहीं किया गया था और जिला दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर के दिनांक 26.12.2007 के आदेश और न्यायाधिकरण के दिनांक 15.07.2011 के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्त/बहाल नहीं किया जा सकता। इस संबंध में निर्णय की

सूचना पंचायत सचिव द्वारा दिनांक 30.11.2013 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को दी गई।

21. रोजगार इकाई के दिनांक 25.11.2013 के निर्णय की गहन जाँच करने पर यह स्पष्ट है कि पंचायत सचिव और रोजगार इकाई ने इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.2013 को 2011 के सी.डब्लू.जे.सी. सं. 22411 में पारित अंतिम आदेश का अतिक्रमण करके एक अधिष्ठाता की तरह कार्य किया और न्यायाधिकरण के दिनांक 15.07.2011 के निर्णय को वैध घोषित कर दिया; जबकि न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 15.07.2011 के आदेश को इस न्यायालय द्वारा 2011 के सी.डब्लू.जे.सी. सं. 22411 में पारित दिनांक 04.09.2013 के आदेश द्वारा पहले ही निरस्त कर दिया गया था।

22. पंचायत सचिव और रोजगार इकाई द्वारा इस न्यायालय के आदेश को दरकिनार करने का निर्णय विधि के नियमों से अनभिज्ञ और अवज्ञाकारी है।

23. इसके अलावा, 01.07.2006 से 2006 के नियम लागू होने के बाद, **रेणु कुमारी पांडे** (उपरोक्त) मामले में खंडपीठ के निर्णय और **कल्पना रानी** (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय के मद्देनजर पूर्वव्यापी रूप से पंचायत शिक्षा मित्रों की नियुक्ति में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और निरस्त नहीं किया जा सकता है।

24. ऐसे मामले में भी जहां किसी व्यक्ति को प्रासंगिक समय पर पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में अपना चयन न करने या पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में गैर-निरंतरता के संबंध में वैध शिकायत है, ऐसे व्यक्ति को पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त नहीं माना जा सकता है, और न ही उसे 1 जुलाई, 2006 को पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में नियोजित माना जा सकता है।

25. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता को 01.07.2006 को 2006 नियमावली के लागू होने से पहले पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त किया गया

था और रूपांतरण के बाद वह पंचायत शिक्षक के रूप में कार्यरत था। उत्तरदाता सं.10 की यह शिकायत कि पंचायत शिक्षा मित्र की नियुक्ति के समय अनियमितता थी और उसे छोड़ दिया गया था, 01.07.2006 से पंचायत शिक्षा मित्र के पद को पंचायत शिक्षक में परिवर्तित करने के बाद उसके द्वारा उठाई नहीं जा सकती है।

26. कल्पना रानी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

“118. इस प्रकार अपनी चिंता को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि 1.7.2006 के बाद, कोई भी व्यक्ति, जो पहले 2010 का पटना उच्च न्यायालय का एल.पी.ए. सं. 1569, दिनांक 15-05-2014 के पंचायत शिक्षा मित्र के पद के लिए उम्मीदवार नहीं था, की नियुक्ति केवल इसलिए की जा सकती है क्योंकि उसका नाम पंचायत शिक्षा मित्र के पैनल में शामिल है। शिक्षा मित्र को 1.7.2006 के प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है और पद के उन्मूलन के बाद, किसी को भी पंचायत शिक्षक के पद पर उनके केवल पंचायत शिक्षा मित्र के पैनल के आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। श्रीमती रेणु कुमारी पांडे (उपरोक्त) मामले में खंडपीठ द्वारा लिए गए निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण एक अच्छा कानून है। मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं होगा कि किशोरी प्रसाद (उपरोक्त) मामले में पूर्व खंडपीठ के निर्णय ने, ऊपर बताए गए कारणों से, कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं किया है और तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।”

27. मैंने ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों और कानून पर अपनी चिंता व्यक्त की है और इस निष्कर्ष पर आया हूं कि पंचायत सचिव और रोजगार इकाई द्वारा याचिकाकर्ता को हटाने के लिए 2011 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 22411 में दिनांक 04.09.2013 को पारित इस न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या करना टिकाऊ नहीं है और इसे निरस्त किया जा सकता है। पंचायत सचिव ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वन पर रोक लगाने के संबंध में तथ्य को तोड़-मरोड़कर और छिपाकर, न्यायाधिकरण के आदेश को 30.06.2012 को लागू किया और उत्तरदाता सं.10 को उसका पक्ष लेने के क्रम में नियुक्त किया।

28. उत्तरदाता सं.10 को 01.07.2006 से पहले पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, उसे पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में रोजगार या माने गए रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है या उसे 2006 के नियम 20 (iii) के तहत पंचायत शिक्षक के रूप में आमेलित होने का अधिकार नहीं है।

29. उसी पर विचार करते हुए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि याचिकाकर्ता को पंचायत शिक्षक के रूप में हटाना और उत्तरदाता सं.10 की नियुक्ति न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के कार्यान्वयन की आड़ में पूरी तरह से अवैध, मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और कानून में अस्थिर है।

30. तदनुसार, पंचायत सचिव के हस्ताक्षर से जारी किए गए दिनांक 25.11.2013 के चयन समिति के आदेश/संकल्प और ज्ञापन सं. 210, दिनांक 30.11.2013 को निरस्त किया जाता है। उत्तरदाता सं.10 की पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्ति भी निरस्त की जाती है।

31. उत्तरदाता अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को पंचायत शिक्षक के रूप में आज से दो महीने की अवधि के भीतर बिना किसी पिछले वेतन के उस पद पर बहाल करें जो उत्तरदाता सं.10 द्वारा खाली की गई है।

32. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं या अन्य द्वारा आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण, संबंधित उत्तरदाताओं द्वारा निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं करता है, तो अधिकारी कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

33. परिणामस्वरूप, इस रिट आवेदन को ऊपर उल्लिखित सीमा तक अनुमति दी जाती है।

34. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रभाकर आनंद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।